प्रेस को सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 33/2024)

<u>तत्काल रिहाई के लिए</u>

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भादूविप्रा ने 'एम2एम क्षेत्र में क्रिटिकल सेवाओं और एम2एम सिम के स्वामित्व के हस्तांतरण से संबंधित मुद्दे' पर परामर्श पत्र जारी किया।

नई दिल्ली, 24 जून 2024 - भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज **'एम2एम क्षेत्र में क्रिटिकल सेवाओं और एम2एम सिम के स्वामित्व के हस्तांतरण से संबंधित मुद्दे'** पर एक परामर्श पत्र जारी किया है।

2. इससे पहले, दूरसंचार विभाग (DoT) ने अपने पत्र दिनांक 01.01.2024 के माध्यम से, भादूविप्रा से 1997 के भादूविप्रा अधिनियम की धारा 11 के तहत, निम्नलिखित पर पुनर्विचारित सिफारिशें प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है-

(अ) एम2एम क्षेत्र में क्रिटिकल सेवाओं की पहचान

(ब) एम2एम सिम के स्वामित्व का हस्तांतरण

3. इस संबंध में, '**एम2एम क्षेत्र में क्रिटिकल सेवाओं और एम2एम सिम के स्वामित्व के हस्तांतरण से संबंधित मुद्दे'** पर एक परामर्श पत्र भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर डाल दिया गया है, जिसमें हितधारकों से इनपुट मांगे गए हैं। परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों पर 22 जुलाई 2024 तक हितधारकों से लिखित टिप्पणियां और 05 अगस्त 2024 तक प्रति-टिप्पणियां आमंत्रित की जाती हैं।

5. टिप्पणियां/प्रति-टिप्पणियां, अधिमानतः इलेक्ट्रॉनिक रूप में, श्री अखिलेश कुमार त्रिवेदी, सलाहकार (नेटवर्क, स्पेक्ट्रम और लाइसेंसिंग), भादूविप्रा को advmn@trai.gov.in पर भेजी जा सकती हैं। किसी भी स्पष्टीकरण/सूचना के लिए श्री अखिलेश कुमार त्रिवेदी, सलाहकार (नेटवर्क, स्पेक्ट्रम और लाइसेंसिंग), भादूविप्रा से टेलीफोन नंबर +91-11-20907758 पर संपर्क किया जा सकता है।

24/6/2024

(महेंद्र श्रीवास्तव)
सचिव (प्रभारी), भादूविप्रा